

आवश्यक
पंचायत उप निर्वाचन, 2025



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या - पं.नि. 30-37/2025 - 3054

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 27.7.25

विषय : पंचायत उप निर्वाचन, 2025 - 'मतदान के एक दिन पूर्व' तथा 'मतदान के दिन' भेजे जाने वाले प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **संलग्न प्रपत्र में प्रतिवेदन** निर्वाची पदाधिकारियों से प्राप्त कर भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(क) मतदान के एक दिन पूर्व भेजे जाने वाला प्रतिवेदन

मतदान की तिथि के पूर्व संध्या 7.00 बजे तक मतदान दल, पी.सी.सी.पी, Face Recognition System का उपयोग करने के संबंध में कर्मियों को निदेशित करने की स्थिति, आयोग द्वारा लाईव वेबकास्टिंग हेतु निदेशित मतदान केन्द्र पर वेबकास्टिंग कैमरा अधिष्ठापन की स्थिति आदि से संबंधित प्रतिवेदन 'प्रपत्र-क' में भेजना सुनिश्चित की जाय।

(ख) मतदान प्रारम्भ होने की सूचना

मतदान के दिन प्रातः 7.00 बजे मतदान प्रारम्भ होने की सूचना भेजना सुनिश्चित की जाय।

(ग) मतदान के दिन (दिनांक 09.07.2025) प्रत्येक दो घंटे पर भेजे जाने वाला प्रतिवेदन

मतदान के दिन महत्वपूर्ण गतिविधियों, घटनाओं एवं मतदान प्रतिशत से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक दो घंटे पर यथा - पूर्वाह्न 9.00 बजे एवं 11.00 बजे तथा 1.00 बजे, 3.00 बजे, 5.00 बजे एवं 7.00 बजे संलग्न 'प्रपत्र-ख' में भेजा जाना सुनिश्चित की जाय।

अनुरोध है कि तदनुसार सभी संबंधित प्रपत्रों को ससमय आयोग के वेबसाइट पर लॉग-इन के माध्यम से अपलोड कराने की कार्रवाई की जाय। इस हेतु लॉग-इन के पश्चात Upload मेनु में जाकर Districtwise Letter Upload के तहत Letter Type में जाकर प्रतिवेदन की हस्ताक्षरित प्रति Upload करेंगे। साथ ही प्रतिवेदन की प्रति आयोग को ई.मेल के माध्यम से भी भेजी जायेगी। साथ ही तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

27.7.25

ज्ञापांक -पं.नि. 30-11/2023 - 3054

पटना, दिनांक - 7-7-25

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक -पं.नि. 30-11/2023 - 3054

पटना, दिनांक - 7-7-25

प्रतिलिपि आयोग के नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक -पं.नि. 30-11/2023 - 3054

पटना, दिनांक - 7-7-25

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक -पं.नि. 30-280/2021 - 3054

पटना, दिनांक - 7-7-25

प्रतिलिपि सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

पंचायत उप निर्वाचन, 2025
मतदान की तिथि से एक दिन पूर्व भेजे जाने वाले प्रतिवेदन का प्रपत्र

जिला का नाम -

प्रखंड का नाम -

गतिविधि	हाँ	ना
1. मतदान दल के मतदान केन्द्र के लिए प्रखंड से प्रस्थान की स्थिति (अपराह्न 3.00 बजे तक)		
2. मतदान दल के मतदान केन्द्र पर पहुँचने की स्थिति		
3. पी.सी.सी.पी. के मतदान केन्द्र पर पहुँचने की स्थिति		
4. Face Recognition System का उपयोग करने के संबंध में कर्मियों को निदेशित करने की स्थिति		
5. आयोग द्वारा लाईव वेबकास्टिंग हेतु निदेशित मतदान केन्द्र पर वेबकास्टिंग कैमरा अधिष्ठापन की स्थिति		

नोट -

स्थान -

तारीख -

जिला निर्वाचन पदाधिकारी/
जिला नियंत्रण कक्ष प्रभारी/
जिला पंचायत राज पदाधिकारी
का हस्ताक्षर

पंचायत उप निर्वाचन, 2025
मतदान के दिन भेजे जाने वाले प्रतिवेदन का प्रपत्र

जिला का नाम -

प्रखंड का नाम -

प्रतिवेदन का समय -

1. प्राकृतिक आपदा, दंगा, हिंसा या अन्य कारणों से मतदान में बाधा या रुकावट -
2. इ.वी.एम. में तोड़फोड़ के कारण मतदान का रद्द होना -
3. इ.वी.एम. में मतदाताओं द्वारा अवैध रूप से मत रिकार्ड करना -
4. बूथ कैप्चरिंग -
5. हिंसा एवं विधि व्यवस्था का उल्लंघन -
6. भूल एवं अनियमितता बरतने के कारण मतदान प्रभावित होना -
7. मौसम की स्थिति -
8. मतदान का कुल प्रतिशत - पुरुष मतदान का प्रतिशत
महिला मतदान का प्रतिशत
9. पीठासीन पदाधिकारी की डायरी के संवीक्षा में किसी तरह की अनियमितता का उल्लेख, यदि कोई हो -
10. पुनर्मतदान आदि की अनुशंसा -
11. अभ्युक्ति -

स्थान -

तारीख -

जिला निर्वाचन पदाधिकारी/
जिला नियंत्रण कक्ष प्रभारी/
जिला पंचायत राज पदाधिकारी
का हस्ताक्षर